भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 58
04.12.2023 को उत्तर के लिए

हरित औद्योगिक नीति

58. श्री मारगनी भरत :
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी :
श्री मद्दीला गुरूमूर्ति :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जटिल जलवायु मुद्दों से निपटने के लिए और अधिक सहयोग पर बल देने के लिए जी-20 में अपनी अध्यक्षता का उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार व्यापक हरित औद्योगिक नीति पर कार्य कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ): जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का समाधान पेरिस समझौते के तहत किया जाता है और विशेष रूप से जी-20 के तहत नहीं किया जाता है। हालांकि, भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता के माध्यम से पर्यावरण तथा जलवायु संधारणीयता कार्य समूह के जरिए एवं जी-20 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर वैश्विक नेतृत्व स्थापित किया। हरित विकास समझौता, जिसका जी-20 के देशों ने नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन के माध्यम से समर्थन किया था, में इस संबंध में सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दर्शाते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सामूहिक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया था।

जलवायु संबंधी मुद्दों पर, भारत ने उन विषयों, जिन्हें पिछले पक्षकारों के सम्मेलनों (सीओपी) (जैसे-पेरिस समझौता, ग्लासगो जलवायु समझौता, शर्म-अल-शेख कर्यान्वयन योजना और अन्य) में स्वीकार किया गया था, पर जी-20 देशों के बीच आम सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित किया और इस संबंध में कार्रवाई में तेजी लाने की पुष्टि करवाई। जी-20 देशों ने एकमत से इस चिंता को साझा किया कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैश्विक महत्वाकांक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीति अभी भी अपर्याप्त है। जी-20 के देशों द्वारा अपनाई गई दिल्ली घोषणा में विकसित देशों से अनुरोध किया गया था कि वे जलवायु अनुकूलन कार्यकलापों के संबंध में अपने सामूहिक वित्तीय प्रावधान को वर्ष 2025 तक वर्ष 2019 के स्तरों से कम से कम दोगुना करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करें। विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकसित देशों द्वारा वर्ष 2025 तक प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से 100 बिलियन डॉलर जलवायु वित्त जुटाने के लक्ष्य को पुन: स्वीकार किया गया, जिसमें विकसित देशों ने यह लक्ष्य पहली बार वर्ष 2023 में पूरा होने की उम्मीद जाहिर की।

*****